।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत नंगला समावदी

राजस्व वाद सं० 1/87

तारीख रज्जू 11.10.2021

01– अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री सांझीराम शर्मा

02– कमलेश पत्नि स्व० श्री ब्रह्म प्रकाश

03– गौरव पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश

04– विशाल पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश

05– शालिनी पुत्री श्री ब्रह्म प्रकाश जातियान ब्राह्मण निवासियान आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर, अलवर

06– पातंजली पुत्र सांझीराम जाति ब्राह्मण निवासी विवेक विहार, स्कीम नं० 10, अलवर

07– प्रशान्त पुत्र चॉदकरण जाति ब्राह्मण

08– मनीषा पुत्री चॉदकरण जाति ब्राह्मण, निवासियान चॉद कुटीर, जोहडा मौहल्ला, अलवर –वादीगण

बनाम

01– राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर अलवर

02– लैण्ड होल्डर तहसीलदार, अलवर –प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक: 30.12.2021

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण स्व० श्री सांझीराम पुत्र बधावामल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नंगला समावदी तहसील व जिला अलवर के विधिक वारिसान है। उनकी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

विरासत से प्राप्त आराजी हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 53 ऐयर, 199 रकबा 1 ऐयर गैर मुमकिन चाह, 200 रकबा 95 ऐयर, 206 रकबा 95 ऐयर, 220 रकबा 8 ऐयर, 235 रकबा 28 ऐयर, 240 रकबा 25 ऐयर, 241 रकबा 25 ऐयर, 243 रकबा 2 ऐयर, 244 रकबा 24 ऐयर कुल किता 10 रकबा 3.56 है० वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील व जिला अलवर में स्थित है। वादीगण उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त 2020 के खसरा नम्बर 126 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 134 चाह रकबा 1 बिस्वा, 133 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 135 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 159 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 169 रकबा 6 बिस्वा, 157 मि. रकबा 2 बिस्वा, 158 रकबा 1 बीघा, 155 रकबा 1 बीघा, 154 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 183 रकबा 19 बिस्वा थे। बन्दोबस्त सम्वत 2020 से पूर्व खसरा नम्बर 299 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 298 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 294 रकबा 4 बीघा 255 रकबा 6 बिस्वा, 293 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 272 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, 273 रकबा 19 बिस्वा थे। सम्वत 2020 से पूर्व के खसरा नम्बरान के पूर्व में वादीगण के बुजुर्ग श्री सांझीराम पुत्र वधावामल अलॉटी गैर खातेदार थे तथा साविक जमाबन्दी 2011 से 2014 में सांझीराम पुत्र वधावामल जाति ब्राहमण वतौर अलॉटी दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2020 में बन्दोबस्त कर्मचारियान ने साविक रिकार्ड का ठीक से अवलोकन किये बिना साबिक रिकार्ड के खिलाफ तथा बिना किसी विधिक आदेश के व बिना अधिकार सांझीराम की जाति ब्राह्मण के स्थान पर शरणार्थी व बन्दोबस्त सम्वत 2051 में खत्री दर्ज कर दी। उस अनुसार अब तक जाति खत्री ही दर्ज होती चली आ रही है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प नंगला समावदी में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण को सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आधोपान्त अवलोकन किया। सम्वत 2020 से पूर्व के खसरा नम्बरान में वादीगण के बुजुर्ग श्री सांझीराम पुत्र बधावामल अलॉटी गैर खातेदार थे तथा साबिक जमाबन्दी 2011 से 2014 में सांझीराम पुत्र बधावामल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

बतौर अलॉटी दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त सम्वत 2051 में वादीगण की जाति खत्री दर्ज कर दी गई उसके स्थान पर वादीगण की जाति ब्राह्मण दुरूस्त किया जाकर वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार अलवर को, वादीगण की जाति खत्री कलमजन कर हाल व साबिक जमाबन्दियों में ब्राह्मण दर्ज करने के, आदेश दिये जाते है। तदानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार अलवर को अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प नंगला समावदी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)